

न्यायालय: श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-128 / 2005

संस्थित दिनांक-14.03.2005

फाईलिंग क्र. 234503000102005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

तौफीक खान पिता मोहम्मद कलाम, उम्र-34 वर्ष,

निवासी-ग्राम चारटोला, आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-16/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-28.01.2005 को सुबह 03:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ताम्र परियोजना मलाजखण्ड टाउनशिप में उसके आधिपत्य से फेन्सींग तार के एंगल 13 नग, खिड़की के राड 75 नग, लोहे की क्रासिंग प्लेट के गोले 10 नग, छत एवं फेंसींग पोल के राड 2 क्विंटल, खर जाली स्टील फ्रेम 4 नग पाईप करीब 10 वर्ग फीट पानी सप्लाई पाईप, गडर के पाईप एवं ढक्कन लोहे तथा सीवेज गैस पाईप के ढक्कन 40 किलो कुल कीमती 10,500/-रुपये की सम्पत्ति को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी परमजीतसिंह ने दिनांक-28.01.2005 को पुलिस थाना मलाजखण्ड आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सुरक्षा अधिकारी के पद पर ताम्र परियोजना मलाजखण्ड में पदस्थ थे। गश्ती दल द्वारा रात्रि 3:00 बजे एक वाहन क्रमांक-एम.पी-50/जी-0259 जिसमें चोरी का सामान भरा था, पकड़ लिया गया था। उपरोक्त वाहन में कंपनी परिसर से चुराई हुई संपत्ति फेन्सींग तार के एंगल 13 नग, खिड़की रॉड, लोहे की क्रासिंग प्लेट के गोले, छत एवं फेन्सींग पोल के राड, गडर के ढक्कन, रबड़ जाली के फ्रेम स्टील के इत्यादि लगभग दस हजार पांच सौ रुपये कीमत का भरा हुआ था। वाहन के विषय में पता करने पर यह वाहन फिरोज खान के स्वामित्व का होना पाया गया, जिसे आरोपी तौफिक खान चला रहा था। उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में आरोपी तौफीक खान के विरुद्ध प्रथम सूचना लेख कराई जिस पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक-08/2005, अंतर्गत

धारा-379 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया। विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये एवं चोरी का सामान जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी के द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-28.01.2005 को सुबह 03:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ताम्र परियोजना मलाजखण्ड टाउनशिप में उसके आधिपत्य से फेन्सींग तार के एंगल 13 नग, खिड़की के राड 75 नग, लोहे की क्रासिंग प्लेट के गोले 10 नग, छत एवं फेसींग पोल के राड 2 क्विंटल, खर जाली स्टील, फ्रेम 4 नग पाईप करीब 10 वर्ग फीट पानी सपलाई पाईप, गडर के पाईप एवं ढक्कन लोहे तथा सीवेज गैस पाईप के ढक्कन 40 किलो कुल कीमती 10,500/-रुपये की सम्पत्ति को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— फरियादी परमजीतसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना जनवरी 2005 की है, मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट के पास एक मैक्स वाहन में लोहा, सीरिज के पाईप, इत्यादि सामान पकड़ा गया था। फिर वह आरोपी को उक्त वाहन सहित थाना मलाजखण्ड लेकर गया था, इस संबंध में उसने पुलिस थाना मलाजखण्ड में प्रदर्श पी-1 का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 लेख की गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि सुरक्षा गार्ड पी.एल.आर. राठौर ने वाहन को पकड़ा था और उसे सूचना दी थी। जब वाहन को पकड़ा गया था, तब वह मौके पर नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का वाहन किराए पर चलाता था।

6— अभियोजन साक्षी नरबद ठाकुर (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2005 की है, वह मलाजखण्ड ताम्र परियोजना में सिव्कोरिटी डिपार्टमेंट में पदस्थ था। उसने घटना दिनांक को पिकअप वाहन क्रमांक—एम.पी—50/जी—0259 जो सफेद रंग का था, पकड़ा था। उस वक्त उसके साथ पी.एल. राठौर तथा रमेश तिलगाम भी थे। साक्षी ने कहा है कि वाहन में रखा सामान ताम्र परियोजना मलाजखण्ड का था अथवा बाहर का भी हो सकता था। वाहन कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया है कि घटना के समय चोरी का सामान लोहा, फेंसिंग तार के एंगल, खिड़की, रॉड इत्यादि थे और आरोपी वाहन को ले जा रहा था। साक्षी ने अपना पुलिस कथन प्रदर्श पी—2 पुलिस को नहीं लेख कराना बताया था।

7— पी.एल. राठौर (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2005 की बौद्ध विहार टाउनशिप मलाजखण्ड की है। वह सुरक्षा गार्ड के पद पर पदस्थ था। एक सफेद रंग के वाहन को उसने रोका था। वाहन तिरपाल से ढंका था इसलिए वह वाहन को सिव्कोरिटी अधिकारी के पास ले गया था। वाहन को आरोपी तौफिक नहीं चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दिनांक—28.01.2005 को सुबह तीन बजे वाहन को पकड़ा था।

8— डी.आर. वरकड़े (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—28.01.2005 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक थाना मलाजखण्ड में सुरक्षा अधिकारी परमजीतसिंह द्वारा मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट द्वारा प्रदर्श पी—1 का आवेदन दिया गया था, जिसके आधार आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक—8/05, धारा—379 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी—2 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी तौफिक खान से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—5 अनुसार वाहन क्रमांक—एम. पी—50/जी—0259 में चोरी का सामान लदा हुआ था, जिसमें फेंसिंग तार के एंगल 13 नग, खिड़की के रॉड 75 नग इत्यादि जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक—29.01.2005 को फरियादी व साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को उसने परमजीतसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—7 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी—5 का

शिनाख्ती पंचनामा पर मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट के किसी अधिकारी व कर्मचारियों के हस्ताक्षर नहीं कराए थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि है कि फरियादी परमजितसिंह चोरी का सामान तथा वाहन लेकर स्वयं थाने आया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-7 का नक्शा उस स्थान का है, जहां चोरी का सामान पकड़ाया था। साक्षी ने कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड ने जिस जगह पर वाहन एवं चोरी का सामान पकड़ा होना बताया था उस स्थान का मौकानक्शा उसने नहीं बनाया था।

9— राकेश कुमार (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। आरोपी द्वारा मलाजखण्ड टाउनशिप से लोहे के गटर के पाईप, गटर के ढक्कन, लोहे का पुराना सामान चोरी गए थे, जिसे जप्त कर, प्रदर्श पी-5 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही उसके सामने हुई थी। प्रदर्श पी-5 व प्रदर्श पी-6 गिरफ्तारी पत्रक पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके सामने थाने में सुबह 7-8 बजे सामान जप्त किया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी पुलिस थाने के अंदर बंदीगृह में था। साक्षी ने कहा है कि जब जप्ती हुई थी, तब आरोपी ने चोरी गया सामान उसके सामने पुलिस ने नहीं दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी ने टाउनशिप से सामान चुराया था।

10— रामप्रसाद करोसिया (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी ने उसके सामने प्रदर्श पी-5 में दर्शाई गई सामग्री आरोपी से जप्त हुई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक में पुलिस ने क्या लिखा था, उसे नहीं बताया था और न ही उसने पढ़कर देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जो सामान आरोपी से जप्त करना बताया था वह पुलिस के बताए अनुसार ही वह न्यायालय में बता रहा है।

11— रमेशलाल (अ.सा.4) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना दिनांक-28.01.2005 को वाहन क्रमांक-एम.पी-50/जी-0259 में फेंसिंग तार, लोहे का सामान लदा हुआ था, जिसे आरोपी चला रहा था। साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 पुलिस को नहीं लेख कराया जाना व्यक्त किया।

12— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अपराध का अभियोग है। अभियोजन कहानी के अनुसार घटना दिनांक-28.01.2005 को आरोपी ताम्र परियोजना मलाजखण्ड के स्वत्व का सामान लोहे के फेंसिंग तार इत्यादि को पीकअप वाहन क्रमांक-एम.पी-50/जी-0259 में ले जा रहा था, तब सिक्योरिटी गार्ड पी.एल. राठौर द्वारा रोके जाने पर एवं उसके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाने से आरोपी को सुरक्षा अधिकारी के समक्ष ले जाया गया था। साक्षी पी.एल. राठौर (अ.सा.7) के कथन पर विचार किया जावे तो उसने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि जो व्यक्ति वाहन चला रहा था, वह आरोपी तौफिक नहीं था।

13— अभियोजन साक्षी परमजितसिंह (अ.सा.2) के प्रतिपरीक्षण पर विचार किया जावे तो उसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जब वाहन को पकड़ा गया था, तब वह मौके पर नहीं था। पी.एल. राठौर ने वाहन और आरोपी को पकड़कर उसके सामने लाया था। इसके पश्चात् उसने लिखित सूचना थाने में प्रस्तुत की थी। प्रदर्श पी-1 में इस बात का उल्लेख है कि आरोपी तौफिक उक्त वाहन चला रहा था, जिसमें चोरी का सामान भरा हुआ था। उल्लेखनीय है कि घटना ताम्र परियोजना मलाजखण्ड टाउनशिप की ही है अर्थात् चोरी गया सामान ताम्र परियोजना मलाजखण्ड क्षेत्रांतर्गत ही जप्त किया गया है।

14— अभियोजन साक्षी नरबद ठाकुर (अ.सा.3) ने यह कहा है कि जो सामान वाहन क्रमांक-एम.पी-50/जी-0259 में लदा था, वह ताम्र परियोजना मलाजखण्ड का भी हो सकता था और आरोपी का भी हो सकता था। उसने वाहन चालक को नहीं देखा था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी चोरी के सामान के साथ वाहन को लेकर जा रहा था। साक्षी राकेश कुमार (अ.सा.5), रामप्रसाद करोसिया (अ.सा.6) ने स्वयं के समक्ष की गई जप्ती एवं गिरफ्तारी को प्रमाणित किया है, परंतु साक्षी राकेश कुमार के प्रतिपरीक्षण पर विचार करें तो उसने यह स्वीकार किया है कि जब सामान जप्त किया गया था, तब सामान थाने के बाहर रखा था और आरोपी को थाने के अंदर बंदीगृह में बंद कर रखा था। इस प्रकार आरोपी के आधिपत्य से चोरी गया सामान मौके से आरोपी के आधिपत्य से जप्त किया गया हो यह बात प्रमाणित नहीं हो रही है।

15— चोरी गया सामान ताम्र परियोजना मलाजखण्ड का स्वत्व का सामान था इसके संबंध में सामान के स्वत्व के दस्तावेज अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किये गए। चोरी गये सामान की शिनाख्ती पंचनामा के विषय में साक्षी डी.आर. वरकड़े (अ.सा.7) ने स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-7 के अनुसार जप्त सामान की शिनाख्ती का कोई पंचनामा मलाजखण्ड ताम्र परियोजना के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारियों के समक्ष नहीं किया

गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उपरोक्त सामान की चोरी के विषय में ताम्र परियोजना मलाजखण्ड के किसी अधिकारी कर्मचारी ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। इस प्रकार यदि जप्त किये गये सामान के विषय में प्रदर्श पी-5 के सामान के विषय में उसकी चोरी होने की पूर्व में रिपोर्ट में दर्ज नहीं कराई गई थी, तो किस आधार पर वह सामान चोरी चला गया था, यह बात विवेचक ने स्पष्ट नहीं की है। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित हो रहा है कि जब सामान जप्त किया गया था तो वह सामान ताम्र परियोजना मलाजखण्ड के इलाके में ही जप्त किया गया था। चोरी के लिए यह आवश्यक है कि चोरी गए सामान को उसके स्वामी की सहमति के बिना बेईमानी के आशय से हटाया जावे। इस प्रकरण में जिस सामान की जप्ती होना अभियोजन कहानी अनुसार बताया गया है, वह स्थान मलाजखण्ड ताम्र परियोजना के अंतर्गत ही है एवं इस सामान की पूर्व से चोरी होने की कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई है। इसके अतिरिक्त यदि अभियोजन साक्षी पी.एल. राठौर के कथनों पर विचार किया जावे तो उसने कहा कि घटना के समय आरोपी तौफिक वाहन नहीं चला रहा था। इसी प्रकार साक्षी नरबद ठाकुर जो मौके पर उपस्थित चक्षुदर्शी साक्षी है ने भी कहा है कि उसने वाहन चालक को नहीं देखा था। उपरोक्त परिस्थिति में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जा रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी ताम्र परियोजना मलाजखण्ड की संपत्ति को बेईमानी के आशय से हटाया जाकर चोरी की गई।

16— अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक-28.01.2005 को सुबह 03:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ताम्र परियोजना मलाजखण्ड टाउनशिप में उसके आधिपत्य से फेन्सींग तार के एंगल 13 नग, खिड़की के राड 75 नग, लोहे की कासिंग प्लेट के गोले 10 नग, छत एवं फेन्सींग पोल के राड 2 क्विंटल, खर जाली स्टील फ्रेम 4 नग पाईप करीब 10 वर्ग फीट पानी सप्लाई पाईप, गडर के पाईप एवं ढक्कन लोहे तथा सीवेज गैस पाईप के ढक्कन 40 किलो कुल कीमती 10,500/-रुपये की सम्पत्ति को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— प्रकरण में आरोपी दिनांक-29.01.2005 से दिनांक-04.02.2005 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। आरोपी के द्वारा प्रकरण में व्यतीत की गई न्यायिक अभिरक्षा के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

18— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक—एम.पी—50 / जी—0259 सुपुर्ददार फिरोज खान पिता कलाम खान, जाति मुसलमान, निवासी मलाजखण्ड, थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट को तथा जप्तशुदा संपत्ति फेंसिंग तार के एंगल 13 नग, खिड़की की रॉड 75 नग, लोहे की क्रॉसिंग प्लेट के गोले 10 नग, छत व फेंसिंग पोल के रॉड दो क्वीटल गटर के ढक्कन 03 नग रबर जाली, स्टील फ्रेम 4 नग, एक पाईप 4 इंच 10 फीट लंबी, पानी सप्लाई पाईप एक नग, गटर पाईप 6 नग, सिवेज गैस पाईप ढक्कन 40 किलो सुर्पदार परमजीतसिंह पिता इंदरसिंह, जाति पंजाबी, थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर दिया गया है, अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उनके पक्ष में निरस्त समझा जावे तथा अपील होने की दशा में उक्त संपत्ति के संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

बैहर
दिनांक—16.05.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)